"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 547] रायपुर, शनिवार, दिनांक 1 नवम्बर 2014—— कार्तिक 10, शक 1936

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-7/आठ-परि./2014.—— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) परिवहन सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

1. नियम 2 के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

   "(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है परिवहन आयुक्त ;"

2. (1) नियम 11 के उप-नियम (8) में, पूर्ण विराम चिन्ह "|" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये.

   (2) नियम 11 के उप-नियम (8) के पश्चात् , निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

   "परन्तु यह कि वाहन चालक के पद के लिये किसी भी प्रकार की नि:शक्तता स्वीकार नहीं की जायेगी ."

3. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 1 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1क	सहायक प्रोग्रामर	16	तृतीय श्रेणी	9300-34800	4300"

4. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 1 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

स. क्र.	पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा [नियम 6(1)(क) देखिये]	पदोन्नति द्वारा [नियम 6(1)(ख) देखिये]	स्थानान्तरण द्वारा [नियम 6(1)(ग) देखिये]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"1क	राहायक प्रोग्रामर	16	100%	-	-	-"

5. अनुसूची-तीन के कॉलम 6 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"1. परिवहन आयुक्त - अध्यक्ष

2. अपर परिवहन आयुक्त - सदस्य

3. संयुक्त/उप परिवहन आयुक्त - सदस्य

4. उप संचालक वित्त /सहायक परिवहन आयुक्त - सदस्य सचिव"

6. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 5 के कॉलम 5 के बिन्दु क्रमांक (3) में, अंक तथा चिन्ह "6/1" के स्थान पर, अंक तथा चिन्ह "6/9 तथा 6/12" प्रतिस्थापित किया जाये.

7. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 1 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

स. क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	विहित शैक्षणिक अर्हता	समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1क	सहायक प्रोग्रामर	21 वर्ष	-तदैव-	प्रथम श्रेणी में बी.ई./बी. टेक. / बी.एस. सी. (इंजीनियरिंग) या कम से कम कुल 60% अंक या समतुल्य श्रेणी. अथवा एम.सी.ए. /एम. सी. एम./ सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर, भौतिक शास्त्र /गणित / सांख्यिकी / आपरेशनल रिसर्च / अर्थशास्त्र/कम्प्यूटर साइंस में प्रथम श्रेणी में एम.एस.सी. / एम.ए. या कम से कम कुल 60% अंक या समतुल्य श्रेणी. अथवा बी.सी.ए. / बी.सी.एम. / सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक, भौतिक शास्त्र / गणित / सांख्यिकी / आपरेशनल रिसर्च / अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री/बी.एस.सी./ बी.ए. कम्प्यूटर साइंस/ कम्प्यूटर साइंस में कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या कम से कम कुल 60% अंक या समतुल्य श्रेणी.	-तदैव-"

No. F 5-7/viii-Trans/ 2014.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Class-III (Clerical and Non-Clerical) Transport Service Recruitment Rules, 2013, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For clause (a) of Rule 2, the following shall be substituted, namely :-

"(a) "Appointing Authority" in respect of Service means Transport Commissioner;"

2. (1) In sub-rule (8) of Rule 11, for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":", shall be substituted.

(2) After sub-rule (8) of the Rule 11, the following shall be added, namely :-

"Provided that for the post of driver any kind of disability shall not be accepted."

3. After serial number 1 and entries relating thereto of Schedule-I, the following shall be inserted, namely :-

S. No. (1)	Name of the post included in the Service (2)	Number of posts (3)	Classification (4)	Pay scale (5)	Grade Pay (6)
"1A	Assistant Programmer	16	Class-III	9300-34800	4300"

4. After serial number 1 and entries relating thereto of Schedule-II, the following shall be inserted, namely :-

S. No.	Name of the posts	Total number of posts	Percentage of posts to be filled in			Remarks
			By direct recruiment [See rule 6 (1) (a)]	By promotion [See rule 6 (1) (b)]	By transfer [See rule 6 (1) (c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"1A	Assistant Programmer	16	100%	-	-	-"

5. For entries relating to column 6 of Schedule-III, the following shall be substituted, namely :-

"1. Transport Commissioner - Chairman
2. Additional Transport Commissioner - Member
3. Joint/Deputy Transport Commissioner - Member
4. Deputy Director Finance/Assistant Transport Commissioner - Member Secretary"

6. In point number (3) of column (5) of serial number 5 of Schedule-III, for figure and symbol "6/1", the figure and symbol "6/9 and 6/12" shall be substituted.

7. After serial number 1 and entries relating thereto of Schedule-III, the following shall be inserted, namely :-

S. No.	Name of Post	Minimum Age	Maximum Age	Prescribed Educational Qualification	Member of Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1A	Assistant Programmer	21 years	...do...	B.E./ B. Tech. / B.Sc. (Engineering) in first division or atleast 60% marks in aggregate or equivalent grade. Or Post Graduation in M.C.A. / M.C.M. / Information Technology, M.Sc. / M.A. in first class in Physics / Mathematics / Statistics / Operational Research/ Economics/Computer Science or atleast 60% marks in aggregate or equivalent grade. Or Graduate in B.C.A. / B.C.M. / Information Technoloy, Post Graduate degree in first Division in Physics / Mathematics / Statistics / Operational Research / Economics/B.Sc./B.A. Computer Science / Post graduate diploma in Computer Application in Computer Science or atleast 60% marks in aggregate or equivalent gtade.	...do..."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.